

# डॉ० भीमराव अम्बेडकर के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता

---



डॉ० विश्राम सिंह यादव

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता

डॉ० विश्राम सिंह यादव

ISBN 916605506-7



श्री कैला देवी पुस्तक मन्दिर  
पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता  
शिकोहाबाद



## डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व की छाप और दलितोद्धार

*“धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है, धर्म नहीं है। किसी भी गलत बात को धर्म के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म व दासता का कोई साथ नहीं है।”*

अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति में जन्म लेने के कारण डॉ. भीमराव अम्बेडकर को अपने जीवन में पग-पग पर भारी अपमान और घोर यन्त्रणा की स्थितियों का सामना करना पड़ा था। इन अपमानों और सामाजिक यातनाओं को झेलते हुए वे जीवन में निरन्तर आगे बढ़े और उन्होंने निश्चय किया कि भारत में अस्पृश्य वर्गों के लिए अमानवीय जीवन की इस स्थिति को समाप्त कर उन्हें मानवता के स्तर पर लाना है। इस महामानव ने भारत के दलित वर्गों के प्रति निष्ठा और समर्पण की जिस स्थिति को अपनाया था, उसके आधार पर इसे भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कहा गया और यहाँ तक कि उन्हें ‘बोधतत्व’ की उपाधि से विभूषित किया गया।

डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को इन्दौर के पास महु छवनी में हुआ था। बचपन में उनका नाम भीम सकपाल था। महार जाति जिसमें डॉ. अम्बेडकर का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी। इनके पिता स्व. श्री रामजी सकपाल कबीर के अनुयायी थे और इस कारण उनके मस्तिष्क में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था।

डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व की छाप और दलितोद्धार | 165

7 अगस्त, 1942 को डॉ. अम्बेडकर सर्वजनिक जनरल की परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। उन्हें भारत के लिए निर्मित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान पर अम्बेडकर के व्यक्तित्व की छाप अंकित है और संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही उन्हें ‘आधुनिक युग का मनु’ कहा जाता है। 3 अगस्त, 1949 को डॉ. अम्बेडकर भारत सरकार के विधि मंत्री बनाए गए।

डॉ. अम्बेडकर निरन्तर यह अनुभव कर रहे थे कि हिन्दू धर्म में दलितों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हिन्दू धर्म उनके स्वाभिमान के साथ मेल नहीं खा रहा था। इन परिस्थितियों में 1955 में उन्होंने ‘भारतीय बुद्ध महासभा’ की स्थापना की तथा भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का बीड़ा उठाया। तदुपरान्त 14/10/1956 को नागपुर में हुई एक ऐतिहासिक सभा में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसम्बर, 1956 को प्रातःकालीन की बेला में उनका देहावसान हो गया।

डॉ. अम्बेडकर महान पुस्तक प्रेमी थे और अध्ययन-अध्यापन उनका सबसे प्रिय कार्य था, लेकिन दलितोद्धार की भावना उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीति में ले आई। उनके समस्त सार्वजनिक जीवन का सर्वप्रमुख और सम्भवतः एकमात्र लक्ष्य था—दलितोद्धार। डॉ. अम्बेडकर के अपने जीवन जीवन के प्रथम 35 वर्षों में पग-पग पर घोर अपमान, अमानवीय व्यवहार और भारी यन्त्रणा की स्थितियों को भोगा था। एक बार उन्होंने एक पत्रकार से कहा था, “मेरे दुःख-दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे, रो पड़ोगे।” यन्त्रणा की इन परिस्थितियों से गुजरते हुए ही उन्होंने ‘दलितोद्धार’ का संकल्प धारण कर लिया था। वे अछूतों के उत्थान के लिए अहिंसात्मक संघर्ष में जुट गए और जीवनपर्यन्त इसी कार्य में लगे रहे।



की भूमि प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, यदि अछूत अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो, एक मनुष्य व एक जानवर में कोई अन्तर नहीं होगा।"

डॉ. अम्बेडकर जानते थे कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए दलित नारियाँ अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। 20 मार्च, 1927 को महद में आई हुई स्त्रियों को सम्बोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, "कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो। साफ-सुथरे रहो।" उन्होंने कहा, "यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी जरूरी पुरुषों के लिए है, उतनी ही स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम पढ़ना-लिखना जान जाओ, तो बहुत उन्नति होगी, जैसी तुम होओगी, वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। अच्छे कार्यों की ओर अपना जीवन मोड़ दो। तुम्हारे बच्चे इस संसार में चमकते हुए होंगे।" डॉ. अम्बेडकर के इन प्रयत्नों का प्रभाव भी पड़ा। अछूतों की एक बड़ी संख्या ने मुर्दा मांस खाना छोड़ दिया, मुर्दा जानवरों की खाल उतारना छोड़ दिया तथा खाना माँगना छोड़ दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि मन्दिर, कुएँ और तालाब, आदि मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए। अछूतों को इनका उपयोग न करने देना अनुचित है। उन्होंने अपने साथियों से सामाजिक कुएँ एवं तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया। आवश्यक हो जाने पर उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह भी किया। पहला सत्याग्रह 1927 में 'महद तालाब सत्याग्रह' के रूप में किया और पर्याप्त संघर्ष के बाद उन्हें इसमें सफलता मिली। इसी प्रकार रामगढ़ के 'गंगा सागर तालाब' का पानी पीने के लिए डॉ. अम्बेडकर 100 साथियों को लेकर वहाँ गए और उन्होंने तालाब का पानी पिया। दूसरा सत्याग्रह 1930 में 'कालाराम मन्दिर प्रवेश' के लिए किया

गया। इसमें संघर्ष की अनेक स्थितियाँ आ गयीं और 'गोलमेज सभा' में भी डॉ. अम्बेडकर ने इस मामले को उठाया। अन्त में अक्टूबर, 1935 में सत्याग्रह बन्द किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दुओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर बल दिया और कहा कि "यह सत्याग्रह हिन्दुओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए है।" मन्दिर प्रवेश से सम्बन्धित विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने 'केन्द्रीय सभा' में कहा था, "धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है, धर्म नहीं है। किसी भी गलत बात को धर्म के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म व दासता का कोई साथ नहीं है।" उन्होंने 'महार वतन' कानून का विरोध भी किया, जो महाराष्ट्र के महारों के लिए समानता की व्यवस्था करता था। डॉ. अम्बेडकर ने 'समता सैनिक दल' की स्थापना की।

डॉ. अम्बेडकर ने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश शासनकाल द्वारा प्रारम्भ किए गए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत जिस प्रकार मुसलमान, ईसाइयों एवं पंजाब के सिखों को पृथक् प्रतिनिधित्व की स्थिति प्राप्त है, उसी प्रकार दलितों को भी ऐसा ही पृथक् प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, जिससे दलितों के प्रतिनिधि केवल दलितों द्वारा ही चुने जायें। पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन में उन्होंने दलितों के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व पर ही सबसे अधिक बल दिया था और महात्मा गाँधी के साथ उनका विरोध सबसे अधिक प्रमुख रूप से इसी बात पर था। महात्मा गाँधी का कहना था कि 'दलित वर्ग' हिन्दू समाज का एक अविभाज्य अंग है और ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिससे हिन्दू समाज का विघटन हो। डॉ. अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप देना चाहते थे और उन्होंने 1932 के 'पूना समझौते' पर हस्ताक्षर परिस्थितियों के दबाव के कारण ही किये थे।



डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि 'मनुस्मृति' के आधार पर भारत के अछूतों पर जो कानूनी पाबन्दियाँ लदी हुई हैं, वे कानून से ही दूर की जा सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि में अपराध घोषित किया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। वर्ष 1930 में 'स्टारटे कमेटी' के एक सदस्य के रूप में उन्होंने यह सिफारिशें की थीं कि, दलित छात्रों की छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाये, दलित छात्रों के लिए छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जाये, दलित छात्रों को कारखानों व रेल कार्यशालाओं तथा अन्य ट्रेनिंग के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति दी जाए एवं इन सभी कार्यों की निगरानी हेतु विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए।

आधुनिक भारत में स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी एवं अन्य महामनाओं ने अपने-अपनी तरीके से दलितोद्धार के प्रयत्न किए हैं। इन सभी व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था और दलितोद्धार उनके विविधपूर्ण कार्यक्षेत्र का एक अंग था। लेकिन अम्बेडकर दलितोद्धार के प्रति समर्पित थे, यह उनके जीवन का सर्वप्रमुख संकल्प था। उन्होंने दलितों में चेतना उत्पन्न करके संगठित और सवर्णों के अत्याचारों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिन्दू समाज के उच्च वर्णों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि दलितों के प्रति अन्याय की स्थिति को बनाये रखना एवं स्वयं सवर्णों के लिए हिन्दू समाज के लिए घातक होगा। ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व ने अछूत वर्ग पर असमानता, अन्याय एवं अपमानजनक व्यवहार का जो बोझ लादा है, उन्होंने उसका विरोध किया और इस अन्याय ने उनके मन-मस्तिष्क में हिन्दुत्व के प्रति भारी कटुता को जन्म दे दिया, जो उनके वचनों व कृतियों में सर्वत्र दिखाई देती है। इस सन्दर्भ में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के अछूत वर्ग के लिए इस राजनीतिक स्वतन्त्रता से भी अधिक

महत्वपूर्ण प्रश्न इस अपमानजनक व अमानवीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करना है। उनकी इस बात में सच्चाई है और किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए इसे अस्वीकार कर पाना कठिन है।

हिन्दुओं के प्रति अम्बेडकर के आक्रोश एवं धर्म-परिवर्तन की निरपेक्ष रूप में आलोचना की जा सकती है। लेकिन यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि समाज के उच्च वर्णों के अन्याय, अत्याचार व अमानवीय व्यवहार को उन्होंने देखा नहीं, वरन् भोगा था तथा उनके मन-मस्तिष्क पर गहरे घाव थे, तो आक्रोश व धर्म-परिवर्तन नितान्त स्वाभाविक प्रतीत होता है। भारत में दलितों की मुक्ति के लिए उन्होंने वही कार्य किया, जो कार्य अब्राहम लिंकन ने दासों की मुक्ति के लिए, पॉल रॉबसन ने अमरीका के नीग्रो लोगों की मुक्ति के लिए किया था।

दलितोद्धार डॉ. अम्बेडकर के जीवन का लक्ष्य था और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डॉ. अम्बेडकर ने दलितोद्धार के प्रति कोरे सैद्धान्तिक दृष्टिकोण को नहीं, वरन् यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। उनका मत था कि दलित वर्ग अपना समय और क्षमताएँ मन्दिर प्रवेश करने जैसी निरर्थक बातों में व्यय करने के अपेक्षा उच्च शिक्षा, अच्छे रोजगारों में प्रवेश पाने तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयत्नों में लगायेंगे, तो निश्चित रूप से उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी। दलितों की स्थिति में सुधार का एक उपाय उन्होंने बतलाया था, 'भारत का औद्योगीकरण'। यह सुझाव उनकी दूरदर्शिता और यथार्थवादिता का परिचायक है।

—डॉ. नीतू सिंह सेंगर

एम.ए., पी-एच. डी. (समाजशास्त्र)

फतेहगढ़ (उ. प्र.)